न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 168/2015

कौशल्या पुत्री सोहनलाल पत्नि महेन्द्र जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा हाल निवासी दहिड तहसील भटटु जिला फतेहबाद (हरियाणा)

---अपीलांट

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री मनसुख जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा

–असल रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. सब रजिस्ट्रार भादरा जरिये सब रजिस्ट्रार भादरा तह0 भादरा
4. कृष्ण कुमार पुत्र सोहन लाल जाति जाट नि0 खचवाना
5. शिमला पुत्री सोहन लाल पत्नि जय सिंह जाति जाट नि0 खचवाना हाल निवासी दहिड तह0 भटटु जिला फतेहबाद
6. जगदीश पुत्र सोहन लाल जाति जाट नि0 खचवाना तह0 भादरा
7. सुभाष पुत्र सोहनलाल जाति जाट नि0 खचवाना तह0 भादरा

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भादरा दिनांक 1.10.2015

उपस्थितिः–

श्री मदनमोहन जोशी, अभिभाषक अपीलांट

श्री मनीराम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णयः–– दिनांकः–08.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि प्रार्थीया /अपीलान्ट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी भादरा के न्यायालय में पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 बारानी के खाता संख्या 52/53 में कुल 7.590 है0 में सोहन लाल पुत्र मनसुख का 40 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 53/51 मे 3.390 है0 सोहन लाल पुत्र मनसुख के नाम, इसी चक के खाता संख्या 54/54 में 3.124 हैक्टयर भूमि में सोहन लाल पुत्र मनसुख का 172–9/10 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है। सोहन लाल बिना किसी जायज जरूरत के वाद भूमि को बैचान करने पर

आमादा है, भूमि दादालाई पैतृक व संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गई भमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक निहित है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रश्नगत् भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार अप्रार्थी द्वारा वाद भूमि बाबत पेश किसी भी दस्तावेज को दर्ज रजिस्टर नही करें। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि दादालाई पैतृक सम्पति नही है व न ही संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गई है बल्कि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि है जिसे वह घरेलू व निजी आवश्यकता हेतू विक्रय करने का कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

2. उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा दिनांक 1.10.2015 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज प्रश्नगत् कृषि भूमि उसकी स्वयं अर्जित सम्पति न होकर दादालाई भूमि है जिसमें प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित है व अप्रार्थी अगर उक्त भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थीया को अत्याधिक नुकसान होगा। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद बैसुद हो जायेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुतोष प्रार्थीया को प्रदान किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति न होकर स्वयं अर्जीत भूमि है जिसे उपयोग व उपभोग करने का अप्रार्थी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 को वैधानिक अधिकार है व स्थगन की आड में अप्रार्थी को प्रश्नगत् भूमि का उपयोग उपभोग से रोका नही जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है, अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त कथन में खाता संख्या 52/53 की भूमि पैतृक सम्पति होना व इस भूमि में प्रार्थीया का हक होने के कथनों को स्वीकार किया गया है, इसके अलावा प्रार्थीया ने प्रश्नगत् सम्पति पैतृक सम्पति होने बाबत चक 2 बारानी जमाबंदी सम्वत 2029, जमाबन्दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्वत् 2046 प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है या नहीं इसका निर्णय यद्यपि मूल वाद में होना है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है और जिन खसरा नंबर की भूमि पाई गई उसके अलावा स्वअर्जित भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल करने के लिए स्वतंत्र अंकित करते हुए प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है किन्तू जिन मु. नं. किला नं. को पैत्रिक होना अंकित किया है उन मु. नं. किला नंबरों के अलावा भी जिन पैत्रिक भूमि शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में दस्तावेज लगाऐ हैं। उसमें भी इस प्रबंध के समय सभी दस्तावेजों को अवलोकन नहीं किया है। संलग्न दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज से संबंधित भूमि का पैत्रिक भूमि में है। पैतृक भूमि होने के संबंध में और भी दस्तावेज हैं जिसमें विवादग्रस्त भूमि पैतृक होना स्पष्ट है। अतः पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर पुनः प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.10.2015 निरस्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनः प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

08/2/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official